



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 648 राँची, बुधवार,
10 कार्तिक, 1945 (श०)
1 नवंबर, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

30 अक्टूबर, 2023

1. संख्या-16/थाना-03/2021-4944--राज्य सरकार, एतद् द्वारा अधिसूचना के निर्गत की तिथि के प्रभाव से सिमडेगा जिलान्तर्गत ग्राम केलुगा, मयोमडेगा एवं खरवागढ़ा को ओड़गा ओ०पी० के कार्यक्षेत्र से विमुक्त कर जलडेगा थाना के कार्यक्षेत्र से तथा ग्राम सारूबहार एवं जोनोदा को जलडेगा थाना के कार्यक्षेत्र से विमुक्त कर ओड़गा ओ०पी० के कार्यक्षेत्र से सम्बद्ध करती है।

जिला	पंचायत/ग्राम	पूर्व थाना/ओ०पी०	वर्तमान थाना/ओ०पी०
सिमडेगा	केलुगा, मयोमडेगा एवं खरवागढ़ा	ओड़गा ओ०पी०	जलडेगा थाना
	सारूबहार एवं जोनोदा	जलडेगा थाना	ओड़गा ओ०पी०

2. **संख्या-16/थाना-03/2021-4945**--राज्य सरकार, एतद् द्वारा अधिसूचना के निर्गत की तिथि के प्रभाव से रामगढ़ जिलान्तर्गत माण्डू प्रखण्ड के बड़का चुम्बा, मंझला चुम्बा एवं बुमरी पंचायतों को गिद्दी थाना के कार्यक्षेत्र से विमुक्त कर कुज्जु ओ०पी० के कार्यक्षेत्र से तथा मनुवा पंचायत को गिद्दी थाना के कार्य क्षेत्र से विमुक्त कर रामगढ़ थाना के कार्य क्षेत्र से सम्बद्ध करती है ।

जिला	पंचायत/ग्राम	पूर्व थाना/ओ०पी०	वर्तमान थाना/ओ०पी०
रामगढ़	बड़का चुम्बा, मंझला चुम्बा एवं बुमरी	गिद्दी थाना	कुज्जु ओ०पी०
	मनुवा	गिद्दी थाना	रामगढ़ थाना

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

तदाशा मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव ।
